Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 37-2018 Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 5, 2018 (PHALGUNA 14, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th March, 2018

No. 3-HLA of 2018/14/3637 .— The Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 3- HLA of 2018

THE MOTOR VEHICLES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2018

A

Bill

further to amend the Motor Vehicles Act, 1988 in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Act, 2018. Short title.

2. After sub-section (1) of section 103 of the Motor Vehicles Act, 1988, the following sub-section shall be inserted, namely:- Amendment of section 103 of Central Act 59 of 1988.

"(1A) Notwithstanding anything contained in this Act, State Transport Undertaking may operate on any route as Stage Carriage under any permit issued thereof to such undertaking under sub-section (1), any vehicle, placed at the disposal and under the control of such undertaking by the owner of such vehicle under any arrangement, entered into between such owner and the undertaking for the use of the said vehicle by the undertaking.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

State Government is committed to provide an efficient, adequate, economical and properly coordinate road transport services in public interest at large. Keeping in view the shortage of fleet strength of Haryana Roadways, the kilometer scheme will be implemented for strengthening the fleet strength, after hiring the buses from registered owners, to be plied on permit granted to Haryana Roadways. The buses will be taken on lease basis from the private registered owner of the vehicle on basic hiring rates and shall be plied by Haryana Roadways as per the permits granted under the provisions of Motor Vehicles Act, 1988.

Haryana Roadways proposes to have a permit its name but does not own (in terms of the definition of owner under section 2 (30) aforesaid) a vehicle to be used against the permit, for which the amendment in Motor Vehicle Act, 1988 is required, for which a clause is required to be added as sub section 103 (1-A) that State Transport Undertaking may operate on any route as Stage Carriage under any permit issued therefore to such undertaking under rule-section(1), any vehicle, placed at the disposal and under the control of such undertaking by the owner of such vehicle under any arrangement, entered into between such owner and the undertaking for the use of the said vehicle by the undertaking.

KRISHAN LAL PANWAR,
Transport Minister,
Haryana.

Chandigarh: R.K. NANDAL,
The 5th March, 2018. Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या–3 एच०एल०ए०

मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018

मोटर यान अधिनियम, 1988, हरियाणा
राज्यार्थ, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 103 की उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 1988 के केन्द्रीय अधिनियम 59 की धारा 103 का संशोधन ।

"(1क) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य परिवहन उपक्रम उप–धारा (1) के अधीन ऐसी वचनबद्धता के लिए उसे जारी किसी परमिट के अधीन किसी यान, जो ऐसी वचनबद्धता द्वारा उक्त यान के उपयोग के लिए ऐसे स्वामी और उपक्रम के बीच हुए किसी समझौते के अधीन ऐसे यान के स्वामी के निपटान पर रखा गया है और ऐसी वचनबद्धता के नियन्त्रण के अधीन है, को मंजिली गाड़ी के रूप में किसी मार्ग पर चला सकता है ।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार आमजन को बड़े पैमाने पर कुशल, पर्याप्त, किफायती तथा समन्वय परिवहन सुविधा उपलब्ध करवान के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा राज्य परिवहन में बसों के बेड़े की कमी को ध्यान में रखते हुए, बसों को उनके पंजीकृत मालिकों से हरियाणा राज्य परिवहन के परमिट पर चलाने के लिए किराए पर लेकर किलोमीटर योजना को इस बेड़े में सुदृढ़ता लाने के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। बसें पट्टा आधार पर इनके पंजीकृत मालिकों से किराए पर ली जाएंगी तथा हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए परमिटों के अनुसार संचालित की जाएंगी।

हरियाणा रोडवेज अपने नाम पर परमिट जारी करवाना चाहता है परन्तु उसके बाद (उपरोक्त धारा 2 (30) में परिभाषित स्वामित्व के अनुसार), परमिट पर चलाने के लिए अपने स्वामित्व वाला कोई वाहन नहीं है जिसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए उपधारा 103 (1–क) जोड़ी जानी जरूरी है कि राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा किसी भी वाहन को, जिसको कि उक्त वाहन के मालिक द्वारा उपक्रम के साथ हुए किसी भी प्रकार के प्रबन्ध के तहत, उपक्रम के उपयोग के लिए उपक्रम के नियन्त्रण में दिया गया हो, को उपधारा (1) के तहत जारी परमिट के तहत स्टेज कैरिज (मंजिली वाहन) के रूप में किसी भी रूट पर चलाया जा सकता है।

कृष्ण लाल पंवार,
परिवहन मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 5 मार्च, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।